न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 84/2023

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 पीरूखा पुत्र केहरा 2 अलारखा पुत्र केहरा जाति मुसलमान, निवासी सुटड़गढ तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 इदेखा पुत्र काछबा 2 बादेखा पुत्र काछबा 3 रमजानखा पुत्र काछबा 4 सबोजखा पुत्र काछबा 5 सालेमोहम्मद पुत्र काछबा 6 रसीदा पत्नी काछबा 7 खीया पत्नी सुमारखा 8 मठार पुत्र सुमारखा 9 मलार पुत्र सुमारखां 10 तोगा पुत्र बीजा 11 नगा पुत्र मोडा के कायम मुकाम 11.1 इस्माईल पुत्र नगा 11.2 निजाम पुत्र नगा 11.3 जमाल पुत्र नगा 11.4 चनणी पुत्री नगा 11.5 जामा पुत्री नगा 11.6 बनू पुत्री नगा 11.7 फिरोजो पत्नी नगा 12 हिन्दाल पुत्र मोडा जाति मुसलमान, निवासी सुटड़गढ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 13 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीगण – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 21.05.2026

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीगण अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल धारवीकला के ग्राम सुटडगढ के खेत खसरा नम्बर 118 रकबा 0.3723 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. मे)	किस्म	लगान	बरग
1	आलरखां 1/2, पीरूखां 1/2 पि० केहरा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	सुटडगढ	118	0.1241	गै.मु.ढाणी	–	लाल
2	रमजानखां 1/60, सबोजखां 1/60, साले मोहम्मद 1/60, इदेखां 1/60, बादेखां 1/60 पि. काछबा, रसीदा पत्नी काछबा 1/60, हिन्दाल पुत्र मोडा 1/4, नगा पुत्र मोडा 1/4, तोगा पुत्र बीजां 1/10, मठार 1/10, मलार 1/10 पि. सुमार, खींया 1/10 पत्नी सुमार जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	सुटडगढ	118	0.2482	गै.मु.ढाणी	–	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के सलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)